भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *198
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

जिला न्यायालयों में लंबित मामले

***198. श्री हरीश चन्द्र मीना :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एमजेडीजी) के अनुसार राजस्थान के जिला न्यायालयों में कितने सिविल और आपराधिक मामले लंबित हैं ;

(ख) टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के जिला न्यायालयों में तीन वर्षों में अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या वर्ष 2023-25 के दौरान उक्त जिलों में चल विधिक सहायता शिविरों अथवा लोक अदालतों का आयोजन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त शिविरों और लोक अदालतों से कितने लोगों को लाभ मिला है ; और

(ङ) उक्त जिलों में उपलब्ध ऑनलाइन फाइलिंग और ट्रैकिंग सहित ई-न्यायालय सुविधाओं की स्थिति क्या है और उक्त सुविधाओं का उपयोग करने वाले वादियों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'जिला न्यायालयों में लंबित मामले' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *198 जिसका उत्तर तारीख 12.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) और (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में जिला न्यायालयों के समक्ष 08.12.2025 तक लंबित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या क्रमशः 5,02,170 और 20,67,494 है। इसके अलावा, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में जिला न्यायालयों के समक्ष तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	राजस्थान में जिला न्यायालयों का नाम	तीन साल से अधिक समय से लंबित मामले		
		सिविल	आपराधिक	कुल
1	टोंक	2486	10,751	13,237
2	सवाई माधोपुर	2186	6831	9017

(ग) और (घ) : जनवरी, 2023 से नवंबर, 2025 की अवधि के लिए उक्त जिलों में आयोजित चल विधिक सहायता शिविरों, राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों के ब्यौरे और इन शिविरों और लोक अदालतों के लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है :-

अवधि : जनवरी, 2023 - नवंबर, 2025 (चल विधिक सहायता शिविर)

विशिष्टियां	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) टोंक	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सवाई माधोपुर	कुल
चल विधिक सहायता शिविरों की संख्या	447	172	619
लाभार्थियों की संख्या	18,362	9730	28,092
चल लोक अदालतों की संख्या	शून्य	शून्य	-

अवधि: जनवरी, 2023 – नवंबर, 2025 राष्ट्रीय लोक अदालत (एनएलए)

	डीएलएसए टोंक			डीएलएसए सवाई माधोपुर		
विशिष्टियां	**मुकदमेबाजी से पहले के मामले**	***लंबित मामले**	**कुल मामले**	**मुकदमेबाजी से पहले के मामले**	***लंबित मामले**	**कुल मामले**
संदर्भित मामलों की संख्या	9,74,398	40,672	10,15,070	8,38,170	26,340	8,64,510
निपटाए गए मामलों की संख्या	9,04,829	10,498	9,15,327	7,87,892	12,241	8,00,133

*लोक अदालत में कार्यवाही के बाद अनसुलझे रहने वाले मामलों को फिर से अगली लोक अदालत में भेजा जाता है। कुछ मामलों को एक से अधिक बार संदर्भित किया जाता है। इसलिए, संदर्भित मामलों की संख्या अंतिम रूप से लंबित मामलों की कुल संख्या से अधिक होना तय है।

अवधि: जनवरी, 2023 - नवंबर, 2025 (एनएलए को छोड़कर धारा 19 के अधीन मासिक लोक अदालत)

विशिष्टियां	**डीएलएसए टोंक**	**डीएलएसए सवाई माधोपुर**	**कुल**
उठाए गए मामलों की संख्या	6418	761	7179
निपटाए गए मामलों की संख्या	197	32	229

अवधि: जनवरी, 2023 – नवंबर, 2025 (स्थायी लोक अदालत)

विशिष्टियां	**डीएलएसए टोंक**	**डीएलएसए सवाई माधोपुर**	**कुल**
प्राप्त मामलों की संख्या	71	223	294
निपटाए गए मामलों की संख्या	98 (पिछले वर्ष के लंबित मामले शामिल हैं।	209	307

(ङ) : राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिले में ई-फाइलिंग, ई-पे, ई-सम्मन, एनएसटीईपी (नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग), टीडब्ल्यूएआरआईटी (वारंट और समन और रिपोर्ट का सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रसारण) सहित सभी ई-कोर्ट सुविधाएं उपलब्ध/कार्यात्मक हैं।

टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न ई-सेवाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

ई-सेवाओं का नाम	**टोंक**	**सवाई माधोपुर**
ई-फाइलिंग	3	0
ई-पे- कोर्ट फीस	रु. 27,51,714	रु. 59,77,844
ईपे – फाइन	रु. 12,23,173	रु. 1,03,37,565
एनएसटीईपी – सिविल मामले	13,275	85
टीडब्ल्यूएआरआईटी - आपराधिक मामले	4789	15,251

इसके अलावा, टोंक जिले में कुल 2,68,922 वादियों और सवाई माधोपुर जिले में 1,72,099 वादियों ने एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मामले की स्थिति का पता लगाने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सीआईएस में अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अद्यतन किया है ।

****